छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा   चतुर्थ सत्र   अंक-17

<u>रायपुर, गुरूवार, दिनांक 26 मार्च, 2015</u>

(चैत्र 5, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

कार्यवाही प्रारम्भ होते ही श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम में हुई अनियमितता की सी.बी.आई. जांच की मांग की गई ।

श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि सदन के नियम और परंपराओं में प्रश्नकाल के बाद अन्य विषय आते हैं। प्रतिपक्ष के सदस्य जिस विषय पर बार-बार चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं उस पर चर्चा हो चुकी है ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि माननीय सदस्यों को कोई भी विषय उठाने के पूर्व आसंदी से अनुमति लेना चाहिये। मान्य परंपराओं और नियम को ध्यान में रखते हुए अगर अनुमति के बाद कोई विषय उठायें तो निश्चित रूप से सदन की गरिमा बढ़ेगी।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया एवं श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य का नाम प्रश्न करने हेतु पुकारा। माननीय सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

माननीय अध्यक्ष ने पुन: प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

मानानीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि जिस विषय पर चर्चा हो चुकी है। इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 19 तारांकित एवं 44 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(अत्यधिक व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही 11.08 बजे स्थगित की जाकर 12.00 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

2. पृच्छा

श्री सत्यनारायण शर्मा एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने पुन: नागरिक आपूर्ति निगम में हुई अनियमितता की सी.बी.आई. जांच की मांग की गई ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने कथन किया कि सदन में जितनी कार्यवाही होनी चाहिये थी वह हो गई है।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाये जाने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि उन्होंने इस विषय पर किसी प्रकार की चर्चा की अनुमति नहीं दी है। कृपया कार्यवाही चलाने में सहयोग करें।

(अत्यधिक व्यवधान एवं नारेबाजी के कारण सभा की कार्यवाही 12.06 बजे स्थगित की जाकर 1.55 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुपूरक कार्यसूची जारी करने के आदेश दिये गये हैं तदनुसार पुन:निर्धारित कार्य सूची अनुसार कार्य संपादित किये जायेंगे।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

श्री सत्यनारायण शर्मा एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने पुन: नागरिक आपूर्ति निगम में हुई अनियमितता पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि जब इस विषय पर चर्चा हो चुकी है और कोई सूचना भी नहीं है तो क्या चर्चा की अनुमति दी गई है ?

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि अनुमति नहीं दी गई है।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिये -

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन (वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या-2), छत्तीसगढ़ शासन

(ii) राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन (वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या-3), छत्तीसगढ़ शासन तथा

(iii) राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन पटल पर रखे।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य गर्भगृह में आये।)

4. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री तोखन साहू, श्री देवजी भाई पटेल एवं डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य की सूचनाएं एवं उनके उत्तर पढ़े हुए माने जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को यह भी सूचित किया कि निम्नलिखित सदस्यों की ध्यानाकर्षण की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा उत्तर हेतु विभागों को भेजा जायेगा। सूचनाएं तथा उनके उत्तर कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे ।

1. डॉ. विमल चोपड़ा
2. डॉ. विमल चोपड़ा
5. श्री संतोष बाफना
6. श्री लाभचंद बाफना
17. श्री संतोष बाफना
18. श्री देवजी भाई पटेल
24. श्री देवजी भाई पटेल
25. श्री शिवरतन शर्मा, श्री देवजी भाई पटेल
32. श्री देवजी भाई पटेल

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क (2) को शिथिल कर उन्होंने सदन में 14 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे
(2) श्री भोलाराम साहू
(3) डॉ. विमल चोपड़ा
(4) श्री मोतीलाल देवांगन
(5) श्री गिरवर जंघेल
(6) श्री लालजीत सिंह राठिया
(7) श्री जनकराम वर्मा
(8) श्री संतराम नेताम
(9) श्री श्रवण मरकाम
(10) डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी
(11) श्री दीपक बैज
(12) श्री अमित अजीत जोगी
(13) श्रीमती सरोजनी बंजारे
(14) श्री बृहस्पत सिंह

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

(1) श्री खिलावन साहू, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च, 2015 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्प पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	**सदस्य का नाम**	**समय**
1. (क्रमांक - 05)	श्री देवजी भाई पटेल	1 घंटा 30 मिनट
2. (क्रमांक - 10)	श्री नवीन मारकण्डेय	30 मिनट
3. (क्रमांक - 11)	श्री अवधेश सिंह चंदेल	30 मिनट

4. (क्रमांक - 09) श्री नवीन मारकण्डेय 30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने लोक लेखा समिति का सोलहवां, सत्रहवां, अठारहवां, उन्नीसवां, बीसवां, इक्कीसवां, बाईसवां, तेईसवां, चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताईसवां, अट्ठाईसवां, उन्नतीसवां, एवं तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

मानननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री श्रवण मरकाम
(2) श्री लाभचन्द बाफना
(3) श्री देवजी भाई पटेल
(8) श्री शिवशंकर पैकरा

8. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, बघेल लखेश्वर, मोतीलाल देवांगन, संतराम नेताम, मोहन मरकाम, सत्यनारायण शर्मा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री दिलीप लहरिया, अमित अजीत जोगी, पारसनाथ राजवाड़े, बृहस्पत सिंह, भूपेश बघेल, धनेन्द्र साहू, उमेश पटेल, अरूण वोरा, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती तेज कुंवर गोवर्धन नेताम, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री दीपक बैज, शंकर ध्रुवा, (डॉ.) प्रीतम राम, चिंतामणि महाराज, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, गिरवर जंघेल, चुन्नीलाल साहू(अकलतरा), जनकराम वर्मा, भैयाराम सिन्हा, सियाराम कौशिक एवं राजेन्द्र कुमार राय।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित की जावेगी।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य सभा भवन से बाहर गये।)

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 16 सन् 2015)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 16 सन् 2015) पुर:स्थापित किया।

2. छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 17 सन् 2015)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री, ने छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 17 सन् 2015) पुर:स्थापित किया।

3. महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी (निरसन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 18 सन् 2015)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलाजी (निरसन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 18 सन् 2015) पुर:स्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 19 सन् 2015) को स्थायी आदेश क्रमांक 23(2) एवं 24 तथा विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम 1 को सदन की अनुमति की प्रत्याशा में शिथिल कर आज ही पुर:स्थापन, विचार तथा पारण की अनुमति प्रदान की है। मैं समझता हूं कि सदन सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

4. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 19 सन् 2015)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 19 सन् 2015) पुर:स्थापित किया।

10. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री महेश गागड़ा, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने प्रस्ताव किया कि सभा की अवमानना संबंधी विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2015 (क्रमांक 13 सन् 2015)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2015 (क्रमांक 13 सन् 2015) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री देवजी भाई पटेल, डॉ. विमल चोपड़ा श्री केशव चंद्रा।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2015 (क्रमांक 13 सन् 2015) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

12. निलंबन समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों का निलंबन समाप्त करने की घोषणा की।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 11 सन् 2015)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 11 सन् 2015) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री लाभचंद बाफना एवं श्री विद्यारतन भसीन।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 11 सन् 2015) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

3. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 12 सन् 2015)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 12 सन् 2015) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नवीन मारकण्डेय, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 12 सन् 2015) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

4. छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 14 सन् 2015)

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 14 सन् 2015) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 14 सन् 2015) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

5. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 15 सन् 2015)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 15 सन् 2015) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 16 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 15 सन् 2015) पारित किया जाए तथा संक्षिप्त उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

6. छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 16 सन् 2015)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 16 सन् 2015) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री लाभचंद बाफना, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 16 सन् 2015) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

7. छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 17 सन् 2015)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री, ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 17 सन् 2015) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री महेश गागड़ा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 17 सन् 2015) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

8. महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी (निरसन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 18 सन् 2015)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षामंत्री ने प्रस्ताव किया कि महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलाजी (निरसन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 18 सन् 2015) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री नवीन मारकण्डेय, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलाजी (निरसन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 18 सन् 2015) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

9. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 19 सन् 2015)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 19 सन् 2015) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री लाभचंद बाफना एवं डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 19 सन् 2015) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

14. नियम-167 के अंतर्गत अग्राहय विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि -

(1) छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम- 167 (1) के परन्तुक के अंतर्गत माननीय सदस्य सर्व श्री शिवरतन शर्मा, श्री संतोष बाफना, श्री महेश गागड़ा एवं श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा श्री टी.एस. सिंहदेव एवं माननीय सदस्य, श्री भूपेश बघेल के विरूद्ध प्रस्तुत सभा की अवमानना एवं

विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 21 जुलाई, 2014 को मैंने विचारोपरांत अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है ।

(2) छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम- 167 (1) के परन्तुक के अंतर्गत माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा, श्री नवीन मारकण्डेय द्वारा श्री आर.पी. तिवारी, निरीक्षक, जिला बिलासपुर के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 25 मार्च, 2015 को मैंने विचारोपरांत अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है ।

15. समितियों का निर्वाचन

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिये 9-9 सदस्यों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिये क्रमशः 9-9 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुये हैं चूंकि तीनों समितियों के लिये क्रमशः 9-9 सदस्य ही निर्वाचित किये जाना हैं अतः मैं निम्नानुसार सदस्यों को उक्त समितियों के लिये निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त करता हूं :-

लोक लेखा समिति

1. श्री देवजी भाई पटेल
2. श्री दयालदास बघेल
3. श्री भईयालाल राजवाड़े
4. श्री शिवरतन शर्मा
5. श्री राजू सिंह क्षत्री
6. श्री सत्यनारायण शर्मा
7. डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी
8. श्री धनेन्द्र साहू
9. श्री मोतीलाल देवांगन

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्राक्कलन समिति

1. श्री संतोष बाफना
2. श्री बद्रीधर दीवान

3. श्री राजशरण भगत
4. श्री महेश गागड़ा
5. श्री श्रीचंद सुन्दरानी
6. श्री मोतीलाल देवांगन
7. श्री गुरूमुख सिंह होरा
8. श्री अमित अजीत जोगी
9. श्री बृहस्पत सिंह

श्री संतोष बाफना, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

1. श्री शिवरतन शर्मा
2. श्री देवजी भाई पटेल
3. श्री अवधेश सिंह चंदेल
4. श्री मोतीराम चन्द्रवंशी
5. श्री लाभचंद बाफना
6. डॉ. प्रीतम राम
7. श्री भूपेश बघेल
8. श्री भोलाराम साहू
9. श्री मोहन मरकाम

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

16. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 09 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं। चूंकि समिति के लिए 09 सदस्य ही निर्वाचित किया जाना है । अत: मैं निम्नानुसार सदस्यों को उक्त् समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त करता हूं :-

1. श्री महेश गागड़ा
2. श्री श्रवण मरकाम
3. श्री राजमहंत सांवला राम डाहरे

4. श्री नवीन मारकण्डेय
5. डॉ. खिलावन साहू
6. श्री खेलसाय सिंह
7. श्री दिलीप लहरिया
8. श्री दलेश्वर साहू
9. श्री जनकराम वर्मा

श्री महेश गागड़ा, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

17. नाम-निर्देशित समितियों का गठन

मानननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203(1), 208(1), 213, 217(1), 224(2), 225(1), 231(2), 232(1), 233(1), 234-ग, 234-घ(2) एवं 234-ज (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निम्नानुसार समितियों के लिए सदस्यों को वर्ष 2015-2016 की अवधि में सेवा करने के लिये तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समितियों में उनके सभापति को नियुक्त करता हूं :-

कार्य मंत्रणा समिति

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री
2. श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री
4. श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री
5. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा
6. श्री भूपेश बघेल
7. श्री सत्यनारायण शर्मा
8. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी

विशेष आमंत्रित सदस्यः-

1. श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री
2. श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री
3. श्री धनेन्द्र साहू
4. श्री खेलसाय सिंह

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

1. श्री श्रीचन्द सुन्दरानी
2. डॉ. खिलावन साहू
3. श्री शिवशंकर पैकरा
4. श्री अशोक साहू
5. श्री चिन्तामणि महाराज
6. श्री सत्यनारायण शर्मा
7. श्री मनोज सिंह मण्डावी

श्री श्रीचन्द सुन्दरानी, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

याचिका समिति

1. श्री विद्यारतन भसीन
2. श्री रोहित कुमार साय
3. श्रीमती केराबाई मनहर
4. श्री केशव चन्द्रा
5. श्री उईके रामदयाल
6. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी
7. श्री भोलाराम साहू

श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रत्यायुक्त विधान समिति

1. श्री लखन देवांगन
2. श्री रामलाल चौहान
3. श्रीमती सरोजनी बंजारे
4. श्री तोखन साहू
5. श्री जनकराम वर्मा
6. श्री भैयाराम सिन्हा

7. श्री अरूण वोरा

श्री लखन देवांगन, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

1. श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी)
2. डॉ. सनम जांगड़े
3. श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया
4. श्री गोवर्धन सिंह मांझी
5. श्री श्यामलाल कंवर
6. श्री धनेन्द्र साहू
7. श्री दीपक बैज

श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी), सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

विशेषाधिकार समिति

1. श्री रोशनलाल
2. श्री युद्धवीर सिंह जूदेव
3. श्री महेश गागड़ा
4. श्री लखन देवांगन
5. श्री अमरजीत भगत
6. श्री जयसिंह अग्रवाल
7. श्री धनेन्द्र साहू

श्री रोशनलाल, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

नियम समिति

1. श्री बर्नाड़ जे. रोड्रिग्स
2. श्री रोहित कुमार साय
3. श्री पारस नाथ राजवाड़े
4. श्री अरूण वोरा
5. श्री कवासी लखमा

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति तथा माननीय विधि मंत्री, इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।

सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति

1. श्री दयालदास बघेल
2. श्री युद्धवीर सिंह जूदेव
3. श्री भईयालाल राजवाड़े
4. श्री अवधेश सिंह चन्देल
5. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी
6. श्री उईके रामदयाल
7. श्री लालजीत सिंह राठिया
8. श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा)
9. श्री बघेल लखेश्वर

श्री दयालदास बघेल, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

पुस्तकालय समिति

1. श्री अंबेश जांगड़े
2. श्री श्रवण मरकाम
3. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी
4. श्री भोजराज नाग
5. श्री अमित अजीत जोगी
6. श्री जनकराम वर्मा
7. श्री बघेल लखेश्वर

श्री अम्बेश जांगड़े, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

1. श्री श्याम बिहारी जायसवाल
2. श्री अशोक साहू
3. श्री नवीन मारकण्डेय
4. श्रीमती चम्पादेवी पावले

5. श्री अमरजीत भगत
6. श्री भैयाराम सिन्हा
7. श्री भोलाराम साहू

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

1. श्री अवधेश सिंह चन्देल
2. श्री संतोष उपाध्याय
3. श्री राजमहंत सांवला राम डाहरे
4. श्री राजशरण भगत
5. श्री उमेश पटेल
6. डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी
7. श्री मोतीलाल देवांगन

श्री अवधेश सिंह चंदेल, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

आचरण समिति

1. श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी)
2. श्रीमती केराबाई मनहर
3. श्रीमती सरोजनी बंजारे
4. श्री उमेश पटेल
5. श्री गिरवर जंघेल
6. श्री शंकर ध्रुवा

अध्यक्ष, विधानसभा उक्त समिति के पदेन सभापति तथा माननीय मुख्यमंत्री व माननीय नेता प्रतिपक्ष समिति के पदेन सदस्य होंगे।

18. सामान्य प्रयोजन समिति का गठन

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234 के उप नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निम्नानुसार सदस्यों को सामान्य प्रयोजन समिति के लिए वर्ष 2015-2016 की अवधि में सेवा करने के लिये नाम-निर्दिष्ट करता हूं :-

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री

2. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा
3. श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री
4. श्री सत्यनारायण शर्मा
5. श्री संतोष बाफना
6. श्री शिवरतन शर्मा
7. श्री महेश गागड़ा
8. श्री श्रीचन्द सुंदरानी
9. श्री विद्यारतन भसीन
10. श्री लखन देवांगन
11. श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी)
12. श्री दयालदास बघेल
13. श्री अम्बेश जांगड़े
14. श्री श्यामबिहारी जायसवाल
15. श्री अवधेश सिंह चंदेल
16. श्रीमती सरोजनी बंजारे
17. श्री रोशनलाल
18. श्री देवजीभाई पटेल
19. श्री धनेन्द्र साहू

अध्यक्ष, विधानसभा उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे।

19. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि कल दिनांक 25 मार्च, 2015 को प्रश्नकाल के तत्काल पश्चात माननीय सदस्य श्री अमित जोगी एवं अन्य सदस्यों ने नियम 130, 131 के अधीन उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर मेरा ध्यान आकर्षित किया था। और मैंने उस समय कहा था कि प्रस्ताव मेरे विचाराधीन है। मैंने प्रस्ताव एवं उस पर प्राप्त विभागीय टीप तथा परंपराओं आदि पर विचार करते हुए प्रस्ताव की सूचना को कक्ष में ही अग्राह्य कर दिया है।

20. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि मुझे सदन को यह स्मरण कराना है कि आज दिनांक 26 मार्च, 2015 को सायंकाल 7.00 बजे माननीय राज्यपाल महोदय के मुख्य आतिथ्य में उत्कृष्टता अलंकरण समारोह एवं पश्चात् सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा भोज का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2012-13 हेतु इस सदन के माननीय सदस्य श्री देवजी भाई

पटेल, तत्कालीन सदस्य श्री हृदयराम राठिया को उत्कृष्ट विधायक तथा पांच वर्ष की कालावधि हेतु स्वर्गीय श्री नंद कुमार पटेल को जागरूक विधायक के तौर पर पुरस्कृत किया जायेगा।

सांध्य दैनिक छत्तीसगढ़ समाचार पत्र के श्री चन्द्रभूषण मिश्रा एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया ई-टीवी के रिपोर्टर श्री मनोज सिंह बघेल को क्रमशः उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया रिपोर्टर, श्री मनीष गीते, कैमरामैन को पुरस्कृत किया जायेगा।

आप सभी से अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम में कृपया उपस्थित हों।

21. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

चतुर्थ विधान सभा के चतुर्थ सत्र का आज अंतिम दिन है । यह बजट सत्र दिनांक 2 मार्च, 2015 से 7 अप्रैल, 2015 तक आहूत था किन्तु परिस्थितिजन्य कारणों से निर्धारित तिथि से पूर्व यह सत्र आज सम्पन्न हो रहा है ।

इस बजट सत्र का आरंभ माननीय राज्यपाल श्री बलरामजी दास टण्डन के अभिभाषण से दिनांक 2 मार्च को हुआ । इस बजट सत्र में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों एवं सरकार के मध्य विचारों की भिन्नता के फलस्वरूप एकाधिक अवसरों पर गतिरोध की स्थिति निर्मित हुई । फिर ऐसा लगा कि अब गतिरोध समाप्त हो गया है किन्तु कुछ अन्तराल के पश्चात् स्थितियां गतिरोध की ही बनी रही । इस सत्र में गर्भगृह में आने और सभा में नारेबाजी करने के जितने अवसर आये, मैं समझता हूं कि ये संसदीय परिपाटियों, परम्पराओं एवं संस्कृति के अनुकूल नहीं रहा ।

यह सदन वाद-विवाद, विचार-विमर्श और असहमति से सहमति की ओर पहुंचने का मंच है और मेरा यह मानना है कि जन-आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये मत-भिन्नता के बावजूद सहमति की ओर बढ़ने से ही जन-आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सकती है ।

मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकता हूं कि ऐसी परिस्थितियां भविष्य में निर्मित न हो।

इस अवसर पर मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है, यद्यपि वैचारिक मतभेदों की वजह से इस सदन में अनेक अवसरों पर इस सदन की उच्च संसदीय परम्परायें आहत हुई है किन्तु पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों के मध्य सद्भाव एवं समादर की भावना में किसी प्रकार का ह्रास नहीं हुआ है और आने वाले समय में माननीय सदस्य संसदीय परम्पराओं एवं प्रक्रियाओं को पुष्ट करने के प्रति अपने संकल्प को पुनः दुहरायेंगे ।

वर्तमान सत्र बजट सत्र था और इस सत्र में राज्य का पैसठ हजार करोड़ से अधिक के बजट पर माननीय सदस्यों ने प्रत्येक विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा की एवं स्वीकृति दी । माननीय सदस्यों द्वारा बजट पर चर्चा किये जाने का यह प्रतिफल है कि आज इस सदन ने

विनियोग विधेयक को भी पारित किया । इस सत्र में तृतीय अनुपूरक अनुमान को भी स्वीकृति प्रदान की गई ।

इसके अतिरिक्त सदन में विभिन्न विधायी कार्य भी सम्पादित किए गए, साथ ही भारत सरकार द्वारा पारित ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 25)'' के प्रभावशील होने के फलस्वरूप ''सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (1993 का अधिनियम संख्यांक 46)'' को निरसन किये जाने का संकल्प भी सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

अब मैं आपको इस सत्र में सम्पादित महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा:-

इस सत्र में कुल 17 बैठकों में लगभग 89 घण्टे 10 मिनट चर्चा हुई । इन बैठकों में 174 प्रश्न सभा में पूछे गये, जिनके उत्तर शासन द्वारा दिये गये । इस सत्र में 1749 तारांकित प्रश्न एवं 1281 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं । इस प्रकार कुल 3030 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं । इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 663 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें 115 सूचनाएं ग्राह्य हुईं। इस सत्र में स्थगन प्रस्ताव की कुल 220 सूचनाएं प्राप्त हुई। शून्यकाल की 131 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें 82 सूचनाएं ग्राह्य और 49 सूचनाएं अग्राह्य रहीं। वर्तमान सत्र में 212 याचिकायें माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें 62 ग्राह्य, 121 अग्राह्य एवं 29 विचाराधीन हैं। माननीय सदस्यों द्वारा अशासकीय संकल्प की 18 सूचनाएं दी गईं । इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 19 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुईं तथा सभी विधेयक चर्चा उपरांत पारित हुये।

वित्तीय कार्यों के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के तृतीय अनुपूरक अनुमान पर 1 घण्टा 28 मिनट तथा वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में 3 घण्टे का समय लगा जबकि अनुदान की मांगों पर 42 घण्टे चर्चा हुई तथा विनियोग विधेयक पर 1 घण्टा 15 मिनट चर्चा हुई ।

प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था छत्तीसगढ़ विधान सभा के कार्यकरण से सीधे तौर पर आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु दूरदर्शन से प्रश्नकाल का प्रसारण सायं 4.30 से 5.30 बजे तक करने के साथ, विद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं के साथ-साथ माननीय सदस्यों के माध्यम से आम नागरिकों को कार्यवाही देखने का अवसर दिया जाता है । इस तारतम्य में 1712 ने सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया, साथ ही सदस्यों के माध्यम से भी लगभग 6600 नागरिकों ने कार्यवाही देखी।

जैसा कि कल मैंने सदन को सूचित किया था कि वर्ष 2012-13 हेतु उत्कृष्ट विधायक के रूप में श्री देवजी भाई पटेल, तत्कालीन सदस्य श्री हृदयराम राठिया तथा 5 वर्ष की कालावधि हेतु स्व. श्री नंद कुमार पटेल को जागरूक विधायक के तौर पर तथा उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार के

रूप में सांध्य दैनिक छत्तीसगढ़ के श्री चन्द्रभूषण मिश्रा एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया ई.टी.व्ही. के रिपोर्टर श्री मनोज सिंह बघेल एवं कैमरामेन श्री मनीष गीते को पुरस्कृत किया जायेगा । इस अवसर पर मैं उन्हें बधाई देता हूं !

अन्त में बजट सत्र के समापन अवसर पर इस सत्र के संचालन में, मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष तथा समस्त माननीय सदस्यों के प्रति पुनश्च: हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी के समन्वित प्रयास से इस सदन का निर्बाध संचालन संभव हो पाया ।

मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया ।

मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों, दूरदर्शन एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया ।

सत्र के समापन के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं तथा सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी ।

मैं विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री देवेन्द्र वर्मा सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया ।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित करने की परम्परा रही है, तद्नुसार आगामी मानसून सत्र जुलाई माह के तीसरे-चौथे सप्ताह में सम्भावित है।

हम सब संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ करने एवं छत्तीसगढ़ के विकास के लिये कृत्य संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ ।

धन्यवाद ! जय हिन्द ! जय छत्तीसगढ !

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री एवं श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त किए।

22. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण्-मण की धुन बजाई गई)

अपराह्न 5.17 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा